62

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R 2622-II 14

प्र.क्र /निगरानी 13/14

1. देबेन्द्र सिह पुत्र ऊधम सिह रघुवंशी
निवासीगण ग्राम मलावनी तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

————————निगरानी कर्ता

वनाम

मध्यप्रदेश शासन

————————प्रतिनिगरानी कर्ता

निगरानी अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959 विरूध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के प्र0क्र0 446 नि. 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 28/08/10 के विरूद्ध।

आदरणीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

<u>मामले का संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यह कि ग्राम मलावनी स्थित भूमि सर्वे क्र./302 में से रकवा 1.500 हेक्टयर का व्यवस्थापन अधीनस्थ तहसीलदार महोदय के प्र0क्र0 161/अ 19/89–90 आदेश दिनांक 05/10/90 से स्व. पन्नालाल जी के नाम से उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया गया स्व. पन्नालाल जी का कोई भी वारिश न होने के कारण आवेदक को दिनांक 23/04/12 को स्व. पन्नालाल जी ने उक्त भूमि का वसियत आवेदक के हित में कर दिया था जिस कारण उक्त निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। उक्त भूमि पर स्व. पन्नालाल जी का लगभग 30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा था जिस कारण उक्त भूमि का व्यवस्थापन नियमानुसार उनके नाम किया गया।
2. यह कि उक्त व्यवस्थापन किये जाने में कभी किसी को कोई आपत्ती नही रही किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर प्र0क्र0 524/97–98 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30/03/99 से उक्त व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जिसमें स्व. पन्नालाल जी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया।
3. यह कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के विरूद्ध पन्नालाल जी ने अधीनस्थ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 546/09–10

x(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2622–दो/2014 निगरानी जिला अशोकनगर

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.7.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 446/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 28–8–2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनॉक 20–8–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया । आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि स्व0पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में अभिभाषक नियुक्त किया था और वही प्रकरण में पेशी लेने आते थे। प्रकरण के बारे में आवेदक को जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम पटवारी से 8–8–14 को बसीयतनामा के आधारपर नामान्तरण कराने हेतु राजस्व कागजात मांगे तब पटवारी ने बताया कि भूमि का व्यवस्थापन अपर आयुक्त ने निरस्त कर दिया है तब समस्त जानकारी लेकर 14–8–14 को नकल का आवेदन दिया एंव इसी दिन नकल मिलने के वाद निगरानी समयावधि में की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से पाया गया कि जब आवेदक की ओर से प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त है एंव अभिभाषक को आदेश की जानकारी समय पर है तब यही माना जावेगा कि आवेदक को आदेश की जानकारी यथासमय है । पटवारी से जानकारी लेने के तथ्य पर पुष्टिकरण में पटवारी का हलफनामा आदि भी नहीं दिया है जिसके कारण बताये गये तथ्य अविश्वसनीय है। अतएव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 28–8–10 के विरूद्ध दिनांक 20–8–14 को प्रस्तुत निगरानी लगभग चार वर्ष के अंतर से होने के कारण समय वाह्य है जो इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	